प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश, 2014 और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2020 के अनुसार तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के आयुष पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश और उनके क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा अपना आभार व्यक्त करता है।